



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 08/2026/D-373

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 319705 दिनांक 24/07/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer With Patta जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	SONALI AGGARWAL D/o LT RANBIR SINGH AGGARWAL एवं Krishan Kumar Aggarwal S/o LT Ranbir Singh Aggarwal	श्री एम0गुप्ता एण्ड सन्स एच0यू0एफ0 कर्ता श्री मनोज कुमार गुप्ता	61-62-B	91.40 SQ. METER	Private	PARSAVNA TH NARAYAN CITY Sector/Block-E	Name Transfer With Patta	आवेदक श्रीमती सोनाली गुप्ता एवं कृष्ण कुमार अग्रवाल द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर निजी खातेदारी की योजना पार्श्वनाथ नारायण सिटी ई ब्लॉक के भूखण्ड संख्या 61-62-बी क्षेत्रफल 91.40 वर्गमी0 का नाम हस्तान्तरण पत्र जारी किये जाने हेतु आवेदन किया गया है। निजी खातेदारी की योजना पार्श्वनाथ नारायण सिटी ई ब्लॉक के भूखण्ड संख्या 61-62-बी क्षेत्रफल 91.40 वर्गमी0 का फ्री होल्ड पट्टा श्री एम0गुप्ता एण्ड सन्स एच0यू0एफ0कर्ता श्री मनोज कुमार गुप्ता के नाम जारी किया गया।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

तत्पश्चात इनके द्वारा दिनांक 22.03.2024 को जरिये रजि0 विक्रय पत्र के माध्यम से उक्त भूखण्ड का बैचान श्रीमती सोनाली गुप्ता एवं श्रीमती आशा चैधरी को किया गया। आशा चैधरी की मृत्यु 23.05.2024 को हो जाने पर उनके स्थान पर इनके वारिस श्री कृष्ण कुमार अग्रवाल द्वारा आवेदन किया गया है

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer With Patta जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. SONALI AGGARWAL D/o LT RANBIR SINGH AGGARWAL एवं Krishan Kumar Aggarwal S/o LT Ranbir Singh Aggarwal को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे। प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।